

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

**उनवान**

1. श्री नारायणलाल पिता वाला तेली निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. श्री रामलाल पिता वाला तेली निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
3. श्रीमती देवीबाई पुत्री वाला जाति तेली पत्नी सत्यनारायण तेली निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. पटवारी पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा न0 : 49/25 (वाद) GCMS No. – 2025/104**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 295, 296 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वाला पुत्र वेणा जाति मेघवाल के बजाय वाला पुत्र वेणा जाति तेली संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.06.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

